



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-2866 / 127)

दिनांक, चकराता 12 - फरवरी 2020

सेवा में,

कमाण्डेंट-22,
चकराता, देहरादून।

विषय- जनपद-देहरादून के विकासखण्ड जाडी से चकराता पाईप लाईन के निर्माण हेतु 0.0744 है वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु कमाण्डेंट-22, चकराता को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2040 दि० 11.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में संदर्भित पत्र से प्राप्त वन अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-62/X-4-20/2(01)/2020 दि० 03.02.2020 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं०-1 के अनुपालन में, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव पर व्यय।	100 वृक्ष	1,210/-	1,21,000.00

उक्त धनराशि का भुगतान सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं०-4 के अनुरूप करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-2866 / 127) तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।